न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 85 / 2021 तारीख 21.09.2021

1. काली देवी पत्नि चमना जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिखी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. चमनालाल पिता रूपा जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिखी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

1. बाबू पिता रूगा जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिखी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सोहन पिता जगन्नाथ जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी रूपपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक : 30/11/2021

प्रार्थना पत्र काली देवी भील एवं चमनालाल भील उम्र वयस्क निवासी तिखी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक **श्री सुनिल कुमार जोशी एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल / संयुक्त खाते भूमि **मौजा तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी संख्या 227 / 127 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान काँस्या में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी संख्या 227 / 127 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 / – रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500 / – रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेंगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ